कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एंव कलेक्टर जिला भोपाल

प्रारूप –पॉच

(देखिय नियम 12)

कालोनी के विकास की अनुमति

तारीख 26 /09/2013 अनुमति क्रमांक 05/2013

प्र0क्र0 364/बी–121/2012–13

मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम,1956/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम ,1961 और उसके अंतर्गत, निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण ,निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 1998 (संशोधित नियम दिनांक 22 अप्रैल 2013) के अधीन निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए:–

आवेदक मेसर्स अग्रवाल इन्फ्राटैक द्वारा पार्टनर श्री संजीव अग्रवाल आ0 एस0के0अग्रवाल पता 250, सागर प्लाजा जोन–2, एम.पी.नगर भोंपाल द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 71/2, 71/3 रकबा क्रमशः 1.619, 1.619 कुल रकवा 3.238 हेक्टेयर अर्थात 32380.00 वर्गमीटर भूमि पर संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास अनुसार के अनुरूप विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति निम्नाकिंत शर्तो के साथ प्रदाय की जाती है:–

1. शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तो का पालन करना होगा।
2. मध्यप्रदेश भू0राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू–व्यपवर्तन की शर्तो का पालन करना होगा।
3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ,1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भूखडों/भवनों का विकास /निर्माण प्रथमतः करना अनिवार्य होगा।
5. सम्पूर्ण विकास कार्य प्रमाण पत्र जारी होने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण करना होगा।
6. निम्नलिखित अधिनियम /नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:–
   - 6.1 मध्यप्रदेश भू0राजस्व संहिता 1959
   - 6.2 लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग।
   - 6.3 भोपाल विकास प्राधिकरण ।
   - 6.4 राजष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)
   - 6.5 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल
   - 6.6 जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
   - 6.7 भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल
   - 6.8 मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण ,निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 1998 के अन्तर्गत कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो के आधार पर पूर्ण करना होगा विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय से भी अनिवार्यतःप्राप्त करना होगा।
7. **मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग /रूफ वाट हार्वेस्टिंग की प्रकिया अपनानी होगी।**
8. संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी /संस्था की होगी।